

भैरू बनाम श्यामा वगैरह

पत्रावली वास्ते कमीपूर्ति हेतु पेश हुई। अभिभाषक अपीलांट उपस्थित। अभिभाषक अपीलांटस ने अपील के साथ प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम प्रस्तुत नहीं किया है। अभिभाषक अपीलांट को कमीपूर्ति हेतु कई अवसर दिये जा चुके हैं। अभी तक अपीलांट ने अपील में कमीपूर्ति को पूर्ण नहीं किया है। इसलिए अपील कमीपूर्ति को पूर्ण नहीं किये जाने के कारण खारिज करना उचित समझते हैं।

अतः अभिभाषक अपीलांट द्वारा अपील के साथ प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम प्रस्तुत नहीं किया है और अभिभाषक अपीलांटस को कई अवसर दिये जा चुके हैं। अतः अपील खारिज की जाती है। पत्रावली फ़ैसलशुमार होकर नम्बर से कम हों।